संख्या–1471/49–3–2017–100(11)/2017

प्रेषक,

मो0 जुनैद,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
सहकारी न्यायाधिकरण, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–3 लखनऊ :: दिनांक :: 07 सितम्बर, 2017,

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–18 के अधीन प्राविधानित अवशेष माहों हेतु विधान मण्डल द्वारा पारित धनराशि निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–140–41/सह0न्या0बजट/2017–18, दिनांक 23 अगस्त, 2017 के संदर्भ में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2017/ बी–1–02/ दस–2017–231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–8/2017बी–1– 1190/दस–2017–231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–18 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) 2425–सहकारिता, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 04–उ0प्र0 सहकारी अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधिकरण का गठन के अंतर्गत लेखानुदान द्वारा पारित वित्तीय स्वीकृति रू0 61.07 लाख में से रू0 58.30 लाख की वित्तीय स्वीकृति उ0प्र0 सहकारी न्यायाधिकरण के निर्वतन पर निर्गत की जा चुकी है। वित्त विभाग द्वारा किये गये प्राविधान के अनुसार सम्पूर्ण बजट रू0 60.95 लाख में से रू0 58.30 लाख को घटाने के उपरान्त रू0 2.65 लाख की वित्तीय स्वीकृति अवशेष माह हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिनके लिये स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा सक्षम प्राधिकारी/शासन की स्वीकृति के बिना उसे अन्य मदों पर कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा व्यय के स्थायी आदेशो के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, ऐसे मामलों में व्यय करने की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की वित्तीय स्वीकृतियां यथा सम्भव एक बार में ही जारी की जाये, परन्तु स्वीकृत धनराशि के एकमुश्त आहरण की यथासंभव अनुमति न दी जाये।

—2/—

(4) कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2017/बी–1–02/दस–2017–231/2016, दिनांक 02 जनवरी, 2017 तथा वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–8/2017बी–1– 1190/दस–2017–231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) दिनांक 02 जनवरी, 2017 तथा दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी, (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वह सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन को तुरन्त दे।

(6) आवंटन के सापेक्ष व्यय विवरण की मासिक सूचनायें वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(7) मितव्ययिता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–18 के अधीन लेखाशीर्षक "2425–सहकारिता के अंतर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2017/बी–1–02/दस–2017–231/2016, दिनांक 02 जनवरी, 2017 तथा वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–8/2017बी–1–1190/दस–2017–231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
विशेष सचिव।

संख्या–1471(1)/49–3–2017–100(11)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
5– वेब मास्टर, कार्यालय-आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
7– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
8– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
9– सहकारिता अनुभाग–1.
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश बहादुर)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या–1471/49–3–2017–100(11)/2017, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखा शीर्षक/मद 2425–सहकारिता 001–निदेशन तथा प्रशासन 04– उ0प्र0 सहकारी अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधिकरण का गठन	आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि 2017–18	विगत 05 माह हेतु लेखानुदान के अंतर्गत स्वीकृति धनराशि 2017–18	स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि 2017–18
1	2	3	4
1–वेतन	36.97	45.86	(–) 8.89
3– मंहगाई भत्ता	2.22	2.29	(–) 0.07
4–यात्रा भत्ता	0.30	0.13	0.17
6– अन्य भत्ते	5.00	2.50	2.50
7– मानदेय	0.05	0.02	0.03
8– कार्यालय व्यय	1.20	0.50	0.70
9– विद्युत देय	0.18	0.08	0.10
11– लेखन सामग्री	0.50	0.21	0.29
12– फर्नीचर उपकरण	2.00	0.83	1.17
13– टेलीफोन व्यय	1.00	0.42	0.58
15– गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल खरीद	1.50	0.63	0.87
16– व्यवसायिक सेवा	2.50	1.04	1.46
17– कार्यालय किराया	2.93	1.22	1.71
45– अवकाश यात्रा सुविधा	0.25	0.10	0.15
46– कम्प्यूटर कय	1.00	0.42	0.58
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण	0.75	0.31	0.44
49– चिकित्सा व्यय	2.40	1.66	0.74
51– वर्दी व्यय	0.20	0.08	0.12
योग–	60.95	58.30	2.65

(राजेश बहादुर)
संयुक्त सचिव।